

प्रेस विज्ञापित

जिला पंचायत जशपुर द्वारा शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय) संवर्ग का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन हेतु दिनांक 01.07.2019 कि स्थिति में 08 वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षक (पंचायत) एवं व्यापम शिक्षक (पंचायत) तथा व्याख्याता (पंचायत) के 'ई' (एलबी) एवं 'टी' (एलबी) संवर्ग की अलग-अलग वरिष्ठता सूची दावा आपत्ति हेतु प्रकाशित किया गया है जिसकी सूची जिला जशपुर के वेबसाईट www.jashpur.cg@gov.in पर अपलोड एवं जिला पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है यदि किसी प्रकार की त्रुटि के संबंध में दावा आपत्ति प्रस्तुत करना है, तो वह आवश्यक समाधान कारक दस्तावेज के साथ दिनांक-~~26/07/19~~ समय सायं 5.30 बजे तक जिला पंचायत जशपुर में प्रस्तुत करना होगा। विलम्ब से प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा उक्त वरिष्ठता सूची में लिपिकीय त्रुटि को कार्यालय द्वारा सुधार किया जावेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, जशपुर (छ0ग0)

कार्यालय, जिला पंचायत, जशपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 83 / जि.पं./शिक्षा स्था./2019

जशपुर, दिनांक - 19/07/19

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर, जिला- जशपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
2. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, जिला- जशपुर (छ0ग0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया किन्ही 02 समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
3. जिला सूचना केन्द्र एवं विज्ञान अधिकारी, जिला- जशपुर (छ0ग0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया इन्टरनेट में इन्द्राज कराने का कष्ट करें।
4. सर्व विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी,
विकासखण्ड-जशपुर/मनोरा/दुलदुला/कुनकुरी/फरसाबहा/पत्थलगांव/कांसाबेल/बगीचा को सूचनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है, कि दावा आपत्ति हेतु प्रकाशित शिक्षक (पंचायत) की प्राविधिक वरिष्ठता सूची को अपने सूचना पटल पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, जशपुर (छ0ग0)